

कमांक: एफ(142)FCA/उवसं/2022/

दिनांक:

Full Title of the Project :- Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS at near Village Badi Sid, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan)

Proposal No: FP/RJ/TRANS/153699/2022

Date of Proposal: 20.3.2022.

Area of Forest Land: 0.175 Ha.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन के कारण प्रयोक्ता अभिकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का विवरण

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.175 हैक्टर वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करने के पश्चात 0.175 हैक्टर वनभूमि पर सक्षम स्वीकृति के बिना कार्य करा कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार भारत सरकार की परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र पर एन.पी.वी. राशि की 100 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक मय 12 प्रतिशत ब्याज के शास्ति के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.175 हैक्टर वनभूमि पर सक्षम स्वीकृति के बिना ट्रांसमिशन लाइन का कार्य करवाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने के कारण 1 वर्ष की निम्नानुसार शास्ति आरोपित किया जाना प्रस्तावित है:-

(अ)	प्रस्तावित वन क्षेत्र	- 0.175 हैक्टर
(ब)	उल्लंघित वन क्षेत्र	- 0.175 हैक्टर
(स)	एन.पी.वी. दर प्रति हैक्टर	- 670140.00
(द)	प्रस्तावित शास्ति	-117275.00 रुपये


(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
उप वन संरक्षक
जोधपुर